प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, सवाई माधोपुर..........थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....................
   प्र. इ. रि. स. ....335/2022.......... दिनांक ....30/8/2022..........
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 ..धारायें..... 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
   (ब) अधिनियम ....धारायें..
   (स) अधिनियम ....धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....546.....समय..........1:30 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन–मंगलवार दिनांक 26.07.2022 समय..........
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 26.07.2022 समय. 11.00 ए.एम..........................
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर– पूर्व दूरी लगभग 10 किलोमीटर ....
   (ब) पता – पुलिस चौकी गणेशधाम पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर बीट सख्या .. ..जरायमदेहीसं............
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ..... पुलिस थाना....जिला..........
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री भरतलाल प्रजापत
   (ब) पिता /पति का नाम श्री प्रेमराज प्रजापत ....
   (स) जन्म तिथि /वर्ष 28 वर्ष ....
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........................
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय..
   (ल) पता... खिलचीपुर, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :– कप्तान सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी गणेशधाम, पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.............
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ..... 5,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..... ....5,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत पुत्र प्रेमराज प्रजापत जाति कुम्हार उम्र–28 साल निवासी खिलचीपुर, तहसील व जिला सवाई माधोपुर ने दिनांक दिनांक 26.07.2022 को समय 11:00 ए.एम.पर कार्यालय अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर में उपस्थित होकर टाईपशुदा रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर के नाम संबोधित कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश करने पर परिवादी से मजिद दरयाप्त की तो परिवादी ने बताया कि हमारे पडोसी दामोदर प्रजापत निवासी खिलचीपुर से दिनांक 05.07.2022 को आपसी कहासुनी व मारपीट हो गई थी। जिस पर मैनें पुलिस थाना कोतवाली में दामोदार, सुनिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस थाना कोतवाली, जिला सवाई माधोपुर में प्रकरण संख्या 361/2022 दर्ज किया था तथा बाद में दामोदर ने भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट थाने में दी थी, जिसकी जांच कप्तान सिंह ए.एस.आई. कर रहा है। जो मुझे व मेरे पिताजी को मुल्जिम बनाने की धमकी देता है तथा गाली गलोच करता है। मेरे पिताजी से बाईस हजार रूपये की मांग कर रहा है तथा कहता है कि अगर तूने मुझे बाईस हजार रूपये नही दिये तो तेरे को व तेरे पुत्र को गिरफ्तार कर जैल में डाल दूंगा व तेरे बेटे का

कैरियर खराब कर दूंगा। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी कप्तान सिंह को रिश्वत नही देना चाहता हूँ, बल्कि रिश्वत लेते हुये रगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी थानेदारजी से किसी प्रकार की दुश्मनी व लेन देन बकाया नही हैं। कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी द्वारा पेश टाईपशुदा रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात समय 11:30 ए.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को श्री राजवीर सिंह कानि. से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी भरतलाल प्रजापत को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वॉइस रिकॉर्डर को श्री राजवीर सिंह कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर परिवादी को सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:50 ए.एम.पर परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत एवं श्री राजवीर सिंह कानि. को बाद हिदायत सरकारी मोटर साईकिल से आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस चौकी गणेशधाम, शेरपुर के लिए रवाना किया गया, जो समय 01:30 पी.एम. पर परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत एवं श्री राजवीर सिंह कानि. मय सरकारी मोटरसाईकिल के उपस्थित कार्यालय आये और परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत ने बताया कि मैं व श्री राजवीर सिंह कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर गणेशधाम चौकी के आस–पास पहुंचे जहां श्री राजवीर सिंह कानि. ने सुनसान जगह पर वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर वाईस रिकार्डर मुझे दे दिया। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर गणेशधाम चौकी पर पहुंचा, जहां पर मुझे कप्तान सिंह जी मिले तथा मैंने उनसे कहा कि मेरे काम के सम्बन्ध में बाचतीत की तो उन्होने कहा कि पचास लाख, सत्तर लाख रूपये की मांग कर हाथों के ईशारों से 5000/–रू. की मांग की और कहा अभी कुछ लाया हो तो देजा मैनें कहा कि मेरे पास अभी तो नही है, मैं व्यवस्था करके लाउंगा। गाली गलोज करते हुये कहा कि जब भी तेरे पास आये तब दे जाना। मैं वहां से रवाना होकर राजवीर सिंह जी के पास आ गया, जहां मैंने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर राजवीर सिंह कानि. को दिया तो राजवीर सिंह कानि. ने उक्त डिजिटल वाईस रिकार्ड को बन्द कर अपने पास रख लिया। इसके बाद मैं व राजवीर सिंह जी सरकारी मोटरसाईकिल से वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय पहुचे। राजवीर सिंह कानि. से पूछने पर परिवादी के कथनो की ताईद की तथा वाईस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखा होना बताया और वाईस रिकार्डर पेश किया, जिये फर्द वापसी सुपुर्दशुदा वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत मांग की वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई, वाईस रिकार्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात समय 03:00 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से तहसीलदार, तहसील कार्यालय, सवाईमाधोपुर को जरिये दूरभाष दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द कर आज दिनांक 26.07.2022 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अवगत कराया, जो समय समय 03:30 पी.एम पर तलविदा दोनो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये । मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान से उनका परिचय पूछा तो दोनो ने अपना नाम क्रमशः सर्वश्री श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री लडडूलाल मीणा, जाति मीणा, उम्र 25 वर्ष, निवासी निदडदा, पुलिस थाना सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर हाल पटवारी ,पटवार मण्डल फलोदी, तहसील व जिला सवाई माधोपुर, श्री सीताराम प्रजापत पुत्र श्री सोलाल प्राजपत जाति, कुम्हार, उम्र वर्ष, निवासी कुण्डेर, तहसील उनियारा, जिला टोंक, हाल पटवारी (एलआर) तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर होना बताया तथा पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत का परिचय दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहों को परिवादी भरतलाल प्रजापत द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट दिनांक 26.07.2022 को दिखाया जाकर पढवाया गया तथा परिवादी से वार्ता कराई जाकर परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहों ने प्रमाणस्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित किये। दोनो स्वतंत्र गवाहान से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत सहमति प्राप्त की गई तो दोनो ने अपनी अपनी सहमति दी। समय 04:00 पी.एम. पर परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैंने मेरे किसी मिलने वाले से कप्तान सिंह जी के बारे में पता करवाया तो उसने बताया कि अभी कप्तान सिंह जी चौकी पर नही है, कहीं बाहर गये हुये है, कप्तान सिंह ए.एस.आई. कल दिनांक 27.07.2022 को दिन में 11 बजे के आस–पास चौकी पर मिल सकता है। इसके पश्चात समय 04:15 पी.एम. पर परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत व आरोपी कप्तान सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य दिनांक 26.07.2022 को हुई रिश्वती मांग की सत्यापन वार्ता जो वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को परिवादी भरतलाल प्रजापत व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रणजीत सिंह व श्री सीताराम प्रजापत के समक्ष कार्यालय के लेपटॉप से अटैच कर सुना जाकर परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा लेपटॉप में सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को एक पेन ड्राईव Sandisk न्यायालय हेतु व दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार

करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त पेन ड्राईव Sandisk व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कागज के लिफाफे में रखवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 06:15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शील्डशुदा पेन ड्राईव व डीवीडी मार्क "A" को मालखाना प्रभारी श्री जुगलाल कानि. नं. 459 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। समय 06:30 पी.एम. पर परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रणजीत सिंह व श्री सीताराम प्रजापत को दिनांक 27.07.2022 को प्रातः 09.00 ए. एम. पर ब्यूरो कार्यालय सवाईमाधोपुर में उपस्थित होने हेतु मुनासिफ हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया। दिनांक 27.07.2022 समय 9:00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह व श्री सीताराम प्रजापत कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बिठाया गया। समय 10:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज दिनांक 27.07.2022 को जब मैं मेरे गांव से एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर आ रहा था तो रास्ते में रणथम्बोर रोड फतेह पब्लिक स्कूल के पास मुझे कप्तान सिंह एएसआई मिल गये थे और उन्होने मेरे से कहा कि तुझे मेरे पास आने की जरूरत नही है और नाही फोन करने की जरूरत है। मैं तेरे पापा से अपने आप बात कर लूंगा, तुझे घबराने की जरूरत नही है। अब मुझे लगता है कि कप्तान सिंह को मेरे उपर शक हो गया है, अब वो मेरे से पैसे भी नही लेंगे। समय 11:00 ए.एम. पर परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि "मैने कल दिनांक 26.7.2022 को श्री कप्तान सिंह एएसआई को पुलिस चौकी गणेशधाम पुलिस थाना कोतवाली जिला स0मा0 के विरूद्व रिश्वत मांगने पर शिकायत की थी कि कप्तान सिंह मेरे द्वारा दर्ज कराये गये मुक़दमें में कार्यवाही करने के एवज में पैसा मांग रहा है, जिस पर कल दिनांक 26.07.2022 को आप द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था, कप्तान जी ने मुझे कहा था कि तीन–चार बजे तक आ जाना, इस पर मैने तीन–चार बजे मालूमात करवाई थी, कप्तान जी चौकी पर नही थे, जिस पर आज दिनांक 27.07.2022 को जब मैं मेरे गांव से एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर आ रहा था तो रास्ते में फतेह पब्लिक स्कूल के पास मुझे कप्तान सिंह एएसआई मिल गये थे और उन्होने मेरे से कहा कि तुझे मेरे पास आने की जरूरत नही है और नाही फोन करने की जरूरत है। मैं तेरे पापा से अपने आप बात कर लूंगा, तुझे घबराने की जरूरत नही है। अब मुझे लगता है कि कप्तान सिंह को मेरे उपर शक हो गया है, अब वो मेरे से पैसे भी नही लेंगे।"_समय12:15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 38 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 12:30 पी.एम. पर परिवादी श्री भरतलाल प्रजापत व स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह, श्री सीताराम प्रजापत को कार्यवाही को गोपनीय रखने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखस्त किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त कप्तान सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम महतोली, पोस्ट चेटोली, तहसील वैर, जिला भरतपुर, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी गणेशधाम, पुलिस थाना कोतवाली, जिला सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी से परिवादी द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण संख्या 361/2022 में कार्यवाही करने की तथा परिवादी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में परिवादी व परिवादी के पिताजी को मुल्जिम नही बनाने की एवज में बाईस हजार रूपये की मांग की तथा वक्त सत्यापन दिनांक 26.07.2022 को पचास लाख, सत्तर लाख रूपये की मांग कर हाथों के ईशारों से 5000/–रू. की मांग की। वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 27.07.2022 को परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र के अनुसार परिवादी के उपर शक होने से रिश्वत राशि प्राप्त नही करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के बकू में आना प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेंवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी गणेशधाम, पुलिस थाना कोतवाली, जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 335/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2932-36 दिनांक 30.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला सवाईमाधोपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

30.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।